UPHR040276272022

न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-**02,** हरदोई।
पीठासीन अधिकारी- राम गोपाल यादव (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

WARRANT OR SUMMONS CRIMINAL CASE/22006/2022

सरकार बनाम कुलदीप आदि
अपराध संख्या–174/2020
धारा 323, 504,506 भा०द०सं०
थाना–सण्डीला, जनपद हरदोई।

दिनांक 31.01.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी मुकदमा रेशमा व अभियुक्त कुलदीप मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। वादी मुकदमा रेशमा की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थिनी उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्त की पत्नी है। प्रार्थिनी उपरोक्त मुकदमें में सुलह कर रही है तथा पति के साथ रह रही है और कुछ गलतफहमी वश मुकदमा पूर्व में करा दिया था लेकिन अब मुकदमा लड़ना नहीं चाहती है। मुकदमा धारा 320 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निर्णीत किये जाने की कृपा की जाए। कथनो के समर्थन में उभयपक्षों द्वारा निष्पादित संधि पत्र दाखिल किया गया है। संधि पत्र न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा रेशमा की ओर से अभियुक्त कुलदीप के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–174/2020, अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० थाना–सण्डीला में पंजीकृत करायी गयी। बाद विवेचना अभियुक्त कुलदीप के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० प्रेषित किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त उपस्थित आया और अपनी जमानते दाखिल की। अभियुक्त के विरूद्ध दिनाँक 22.12.2023 को धारा 323,504,506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गयी है। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 रेशमा को परीक्षित कराया गया। तदोपरांत वादी मुकदमा की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर मुकदमे को शमन किये जाने की याचना की गयी है तथा उसकी ओर से कथन किया गया है अभियुक्त उसका पति है। सुलह हो गयी है और वह पति के साथ रह रही है। मुकदमा धारा 320 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत समाप्त किया जाए। कथनो के समर्थन में उभयपक्षों की ओर से निष्पादित संधि पत्र दाखिल किया गया है। पक्षकार आपस में पति पत्नी हैं व साथ रह रहे हैं। उनकी सुलह हो गयी है। धारा 323,504,506 भा०द०सं० का अपराध धारा 320 (1) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत शमनीय प्रकृति का है। न्यायालय के मत में प्रस्तुत मुकदमें को शमन किए जाने में कोई विधिक अवरोध प्रतीत नहीं होता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है ।

Digitally signed by Ram Gopal Yadav
Date: 2024.02.05 14:32:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त कुलदीप के विरूद्ध WARRANT OR SUMMONS CRIMINAL CASE No.- 22006/2022 अपराध संख्या–174/2020, धारा 323,504,506 भा०द०सं०, थाना–सण्डीला, जनपद हरदोई के अपराध को शमन किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में दोषमुक्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 31.01.2024

(राम गोपाल यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या– 02,हरदोई।
जे.ओ. कोड–UP2304